रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 15, 2018/वैशाख 25, 1940
No. 314] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 15, 2018/VAISAKHA 25, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2018

सा.का.नि. 453(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जब इस अधिसूचना की प्रतियॉं, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध करा दी जाती है से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पष्चात् विचार किया जाएगा;

2. इन प्रारूप नियमों की बाबत, आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव(परिवहन), भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 को या ईमेल : js-tpt@gov.in पर भेजे जा सकेंगे।

3. केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत् ऐसे किन्ही आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगें।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 50 के उप–नियम (2) के खण्ड(घ) में प्रथम परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्; –

''परन्तु यह कि विद्युत वाहनों के मामले मे परिवहन चिन्ह, परिवहन वाहनों के लिए हरे रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग से और अन्य सभी मामलों में हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में दिखाया जाएगा।''

[फा.सं. आर.टी.11028/03/2018–एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि.—(अ), तारीख द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2018

G.S.R. 453 (E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 64 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the Public.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi 110 001 or email at js-tpt@gov.in .

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (____Amendment) Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 50, in sub-rule (2), in clause (d), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely. -

"Provided also that in case of electric vehicles, the registration mark shall be shown in Black colour on Green background for transport vehicles and in all other cases, in White colour on Green background.".

[F.No. RT-11028/03/2018-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note. The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number dated .

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.05.16 19:39:10 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.